*स्पीड पोस्ट/ईमेल*

**क्रमांक ई-1/181/2025/5/एक**
**मध्यप्रदेश शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**

प्रेषक,

फरहीन खान,
अवर सचिव (कार्मिक)

प्रति,

सचिव, (AIS Division)
भारत सरकार, कार्मिक,
लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्तव्य भवन, नई दिल्ली।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

विषय : श्री संतोष कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (2012) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से पृथक करने/आई. ए. एस अवार्ड वापस लिए जाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापन बाबत ।

-000-

श्री संतोष कुमार वर्मा, राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत आवंटन वर्ष 2012 के अधिकारी है | श्री वर्मा के द्वारा दिनांक 23.11.2025 को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन, में सामाजिक समरसता को ठेस पहुँचाने वाले, आपसी वैमनस्य उत्पन्न करने वाले वक्तव्य दिया गया । उक्त वक्तव्य के प्रसारण के पश्चात प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह लेख किया गया है कि श्री वर्मा द्वारा दिए गए वक्तव्य से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ है तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के अपेक्षित मर्यादित एवं संतुलित आचरण का उल्लंघन हुआ है।कई ज्ञापनों में यह भी अनुरोध किया गया है कि श्री वर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा से पृथक अथवा बर्खास्त किया जाए ।

2/ उक्त संबंध में श्री वर्मा के पदोन्नति प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि:

2.1 श्री वर्मा, राज्य प्रशासनिक सेवा (आवंटन वर्ष 1996) रा.प्र.से से भा.प्र.से में पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2019 के विचार क्षेत्र में सम्मिलित थे। तत्समय उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण अपराध क्र. 851/2016 लंबित होने के कारण उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की जा सकी थी, जिससे रा.प्र.से से भा.प्र.से में पदोन्नति हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 में उनका नाम अनंतिम रूप से सम्मिलित किया गया। श्री वर्मा द्वारा दिनांक 08.10.2020 को

विभाग में माननीय न्यायालय द्वारा पारित कथित आदेश दिनांक 06.10.2020 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके दोषमुक्त (Acquitted) किए जाने का उल्लेख था। उक्त आदेश की प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इंदौर जोन, इंदौर को भेजकर उपरोक्त आदेश दिनांक 06.10.2020 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई।

2.2 कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक ,जिला इंदौर द्वारा दिनांक 16.10.2020 को जिला लोक अभियोजन अधिकारी का अभिमत प्रेषित किया गया, जिसमें उक्त दोषमुक्ति आदेश सही प्रतीत होने तथा अपील योग्य आधार न होने का उल्लेख किया गया।उपर्युक्त आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 16.10.2020 को श्री वर्मा की संनिष्ठा प्रमाणित की गई, जिसके फलस्वरूप DoPT के आदेश दिनांक 06.11.2020 के माध्यम से उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया।

2.3 सुश्री हर्षिता अग्रवाल द्वारा दिनांक 28.04.2021 को मुख्य सचिव को शिकायत प्रस्तुत कर लेख किया गया कि श्री संतोष वर्मा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये शासकीय दस्तावेजों में कूटकरण करने, लंबित प्रकरणों की झूठी जानकारी शासन एवं प्रशासन को देकर आई.ए.एस. अवॉर्ड प्राप्त करने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा आरोपी को असम्यक लाभ देकर आपराधिक कृत्य में सहयोग करने पर उचित जांच कर आरोपी का आई.ए.एस. अवॉर्ड निरस्त किया जाये। उक्त आवेदन रिपोर्ट हेतु पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर ज़ोन को भेजा गया। पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को सूचित किया गया कि अपराध क्रमांक 851/2016 में दिनांक 06.10.2020 को ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण वर्तमान में विचारधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 07.09.2021 निर्धारित है। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि श्री विजेंद्र सिंह रावत, JMFC इंदौर की शिकायत पर कूटरचित आदेश के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 155/2021 दर्ज की गई है।

2.4 पुलिस द्वारा प्रारम्भिक विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आने से कि न्यायालय द्वारा अपराध क्र. 851/2016 में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था तथा श्री वर्मा द्वारा फर्जी आदेश प्रस्तुत कर आपराधिक कृत्य किया गया, श्री वर्मा को दिनांक 10.07.2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 11.07.2021 को श्री परमार, JMFC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर एवं माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा श्री वर्मा की ज़मानत याचिका ख़ारिज की गई। कालांतर में श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से दिनांक 27.01.2022 को जमानत प्राप्त की गई |

2.5 पुलिस अभिरक्षा मे 48 घंटे से अधिक निरुद्ध रहने के कारण श्री वर्मा को दिनांक 13.07.2021 को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियम ,1969 के अंतर्गत निलंबित किया गया। प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत दिनांक 11.08.2021 को श्री वर्मा के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील ) नियम, 1969 के नियम 8(4) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर श्री वर्मा द्वारा दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत किया गया। श्री वर्मा से प्राप्त उत्तर संतोषजनक ना पाये जाने से विभागीय आदेश दिनांक 04.09.2024 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर, आयुक्त, उज्जैन संभाग को जांचकर्ता अधिकारी एवं उपायुक्त, इंदौर संभाग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2.6 उक्त निलंबन कार्यवाही के विरुद्ध श्री वर्मा द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मे ओ.ए क्रमांक 808/2022 प्रस्तुत की गई। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2024 को श्री वर्मा के निलंबन की अवधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने संबंधी विभागीय आदेशो को निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे रिट याचिका क्रमांक 25949/2024 दायर की गई , किन्तु स्थगन प्राप्त नहीं हुआ। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, म.प्र. जबलपुर द्वारा ओ.ए. कमांक 808/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के परिपालन दिनांक 28.01.2025 को श्री वर्मा की निलंबन से बहाली के आदेश जारी किए।

3/ वर्तमान में श्री वर्मा के विरुद्ध प्रचलित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 851/2016 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है एवं उसमें कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 06.10.2020 फर्जी होने के संबंध में प्रचलित प्रकरण अपराध क्रमांक 155/2021 में तथाकथित न्यायालयीन आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश श्री विजेंद्र सिंह रावत को पुलिस विवेचना मे फर्जी आदेश पारित करने मे उनकी संलिप्तता प्रकट होने से निलंबित किया जा चुका है एवं उनके विरुद्ध अन्वेषण प्रचलित है।

4/ इस प्रकार न्यायालयीन नस्ती के अनुसार प्रकरण क्र. 851/2016 आज दिनांक तक प्रचलन में है एवं प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। इसी प्रकरण में तथाकथित दोषमुक्ति आदेश दिनांक 06.10.2020 के आधार पर श्री वर्मा की संनिष्ठा प्रमाणित की गई थी। इसके अतिरिक्त यह आदेश दिनांक 06.10.2020 फर्जी होने के संबंध में पृथक से प्रकरण अपराध क्रमांक 155/2021 न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार जिस दोषमुक्ति आदेश दिनांक 06.10.2020 के आधार पर श्री वर्मा की संनिष्ठा प्रमाणित की गई थी वह वास्तविकता में विद्यमान नहीं है। अतः उल्लेखित वस्तुस्थिति के आलोक में श्री वर्मा की आई. ए. एस. में पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति के संबंध मे समुचित निर्णय लिए जाने का अनुरोध है।

भ व दी या,

12/12/25

( फरहीन खान )